

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।


धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - दौलत देवीबगैरह।

बनाम

वाद सं0 108/2022

द्वितीय पक्ष - दिलीप कुमार ओहदार बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/2/23	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 39/2022 दिनांक 17/08/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) दौलत देवी पति स्व० रामकेश्वर ओहदार ग्राम पंथा, थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1)दिलीप कुमार ओहदार उर्फ सुधांशु ओहदार उम्र 32 वर्ष पिता स्व० रामकेश्वर ओहदार ग्राम पंथा वर्तमान पता ग्राम बसिया थाना बसिया जिला गुमला के बीच घरेलु नोक झोक को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> <p style="text-align: right;"> अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।</p>	